

NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत हरसीला से सीमा तक 4.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

उक्त प्रस्तावित बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 10 से प्रारम्भ होता है जो हरसीला एवं सीमा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 600 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गाँव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पाएंगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन-पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गाँव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएंगे साथ ही गाँव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

यह संरेखण सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी० तथा मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है। मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 है० एवं नापभूमि 1.080 हेक्टेयर प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं०-1 इस समरेखन के अनुसार इस मार्ग का संरेखन बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 10 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी० है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 10 नं० हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।


समरेखन नं०-2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 10 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 4.50 किमी० आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 11 नं० हियरपिन बैण्ड पड़ते हैं, तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं०-2 को निरस्त कर समरेखण नं०-1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल भूमि 1.912 हेक्टेयर, वन पंचायत भूमि 0.00 हेक्टेयर, आरक्षित भूमि 0.607 एवं नापभूमि 1.080 हेक्टेयर प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी० व चौड़ाई 9 मी० में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

मोटर मार्ग निर्माण हेतु 9.00 मी० चौड़ाई में भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 0.5... डम्पिंग जोन जिनकी चौड़ाई 1.50 मी० है तथा प्रतिधारक दीवार जिसकी ऊचाई 2.00 से 3.00 मी० के बीच है प्रस्तावित किये गये है। मार्ग निर्माण 6.00 मी० चौड़ाई में किया जायेगा तथा इसके पश्चात खड्ड साईड में स्थित 1.50 मी० चौड़ाई के डम्पिंग जोन में मलवा निस्तारण किया जायेगा। इस प्रकार समस्त पांचों डम्पिंग जोन में 6.00 मी० मार्ग निर्माण एवं खड्ड साईड में 1.50 मी० कुल 7.50 मी० चौड़ाई में भूमि प्रभावित होगी तथा मलवा निस्तारण स्थल का क्षेत्रफल भूमि हस्तान्तरण हेतु 9.00 मी० चौड़ाई में सम्मिलित है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट


अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
कपकोट